

Court No. - 48

Case :- WRIT - B No. - 202 of 2023

Petitioner :- Yamuna Singh

Respondent :- State Of U P And 8 Others

Counsel for Petitioner :- Amish Kumar Srivastava, Suresh Kumar Srivastava

Counsel for Respondent :- C.S.C., Chitra Sen Singh

Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery, J.

1. Heard Sri Amish Srivastava, learned counsel for petitioner and perused the record.

2. Relevant part of impugned order dated 29.10.2022 is reproduced hereinafter:

"मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा ग्राम के सुसंगत अभिलेखों पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया तथा स्थल पर सहायक चकबन्दी अधिकारी से निरीक्षण कराया गया सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या दिनांक 29.10.2022 संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि गाटा सं० -130 व 131, 132 निगरानीकर्ता यमुना सिंह चकदार सं०-162 का मूल नं० है, पूर्व जोत के अनुसार दक्षिण सड़क लेते हुए प्रदिष्ट है तथा द्वितीय चक गाटा सं०- 673, 674, 675 पर प्रदिष्ट है, जो एल आकार का है उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता की पूर्व जोत एल आकार की थी, जिसके अनुसार उसे चक दिया गया है, यदि निगरानीकर्ता की मांग स्वीकार की जाती है तो चकदार सं०-512 व 311 जो अपने मूल नं० पर पश्चिम चकमार्ग लेते हुए बने हैं, मूल नं० से वंचित हो जाएंगे। तदनुसार निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।"

3. Learned counsel for petitioner has tried to convince that impugned order is unreasonable, however, I do not find any substance in the argument since findings are returned on the basis of spot inspection which has not been denied.

4. I, therefore, do not find any reason to interfere. Dismissed accordingly.

Order Date :- 24.11.2023

AK